



कार्यालय- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जैसलमेर

(PHONE-02992-294676, E-mail : dlsa19jaiselmer@gmail.com)



क्रमांक :: जिविसेप्रा / संस्था. / 2024 / 01

दिनांक :- 31.7.24

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक F 16( )RSLSA/LADCS /2024 / 8818 दिनांक 29.07.2024 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय हेतु पूर्णतया अस्थाई रूप से कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)डीओपी/ए-2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिये जाने के लिये जारी मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित मानव संसाधन की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय / पारिश्रमिक (रूपये)
1	ऑफिस असिस्टेंट	03	14,000 /- प्रति माह
2	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा ऑपरेटर	01	14,000 /- प्रति माह
3	ऑफिस पिओन	03	11,000 /- प्रति माह

आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 14.08.2024 को कार्यालय समय में सांय 05.00 बजे तक जरिये डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
जैसलमेर

क्रमांक:- जिविसेप्रा / संस्था / 2024 / 220-226

दिनांक:- 31.7.24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-


1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जैसलमेर को जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जैसलमेर को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बाबत्।
4. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, पोकरण को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बाबत्।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, जैसलमेर को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु
6. जिला नियोजन अधिकारी, जैसलमेर
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

स.स. / S.O. - वेबसाइट पर अपलोड करे।

31.07.24

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
जैसलमेर

सचिव  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
जैसलमेर



## कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

### आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :- .....
2. पिता/पति का नाम :- .....
3. जन्म तिथि:- .....
4. पता मय मोबाईल नम्बर :- .....
5. आयु :- ..... वर्ष ..... माह ..... दिन
6. अर्हताएं :- .....
7. मूल विभाग का नाम :- .....
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :- .....
9. अनुभव :- .....
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन  
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)  
एलपीसी संलग्न करें। .....
11. मूल पेंशन राशि  
(पीपीओ की प्रति संलग्न करें।) .....
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) .....
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) .....
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

### सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर



## विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती . . . . . पुत्र/पत्नी . . . . . जो सेवानिवृत्ति से पूर्व . . . . . पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती . . . . . की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती . . . . . रुपये . . . . . मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती . . . . . अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती . . . . . के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर  
मय सील